न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा, जिला दौसा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– उमेश वीर, आर.जे.एस. UID NO.RJ00787

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 1413/2020 (200/2016)

सी.आई.एस. नम्बर 1413/2020

CNR NoRJDS020004832016

राजस्थान राज्य ––अभियोगी

बनाम

01–श्रीमती शांति उर्फ सन्ती उर्फ संतोष पत्नी मोती लाल उम्र–54 साल

02–बाबूलाल पुत्र सुवालाल उम्र–65 साल

03–मक्खन पुत्र रामकिशोरउम्र–39 साल

04–सविता पत्नी मक्खन उम्र–38 साल,

निवासीगण–छोटी बैरावास थाना सदर, दौसा (राज.) –– अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः–

01–राजस्थान राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी।

02–श्री सुनील शर्मा विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय **दिनांकः .10.03.2026**

1. अभियोजन कहानी अनुसार हस्तगत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परिवादी ओमप्रकाश ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 जिला पुलिस अधीक्षक, दौसा के समक्ष इस आशय की पेश की कि दिनाँक 7–10–2015 को समय करीब 10.00 ए एम की बात है कि झगडालू लोग बाबूलाल, मक्खन, हरप्यारी, शान्ति, सविता आदि लोग एक राय होकर हाथों में कुल्हाडी

डण्डे लेकर आये और आबादी के पास खसरा नम्बर 715 चरागाह भूमि में से हरे पेड़ काट काट कर आबादी से जाने वाले रास्ते को ढांकरे लगा कर बन्द कर रहे थे कि मेरे बडे भाई हरिमोहन ने जाकर कहा कि भाई रास्ता बन्द मत करो तो बाबूलाल ने मेरे भाई के डण्डे की चोट मार दी व मक्खन, हरप्यारी, सबिता, शान्ति ने डण्डो से मारपीट की जिससे मेरे भाई का कान का पर्दा फट गया जो हॉस्पिटल में भर्ती है चिल्लाने की आवाज सुन विमलेश आई और वह चिल्लाई तब अन्य लोगों ने आकर बचाव किया तो मक्खन ने जेब से देशी कट्टा निकाला और गोली चलाने की धमकी देने लगा तथा कहा कि मेरे पास कट्टे के साथ रिवाल्वर और है तथा मेरे साला के पास बदमाशों का गिरोह है जो तुम्हें कभी भी जान से खत्म करवा दूंगा इसके बाद कट्टे से फायरिंग कर दी.....इत्यादि।

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट को कार्यालय पुलिस अधीक्षक, दौसा द्वारा मुकदमा दर्ज करने हेतु आरक्षी केन्द्र सदर, दौसा को प्रेषित किया गया जिसके आधार आरक्षी केन्द्र सदर, दौसा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 18/2016 दर्ज कर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। बाद अन्वेषण अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323, 325/34 के अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाकर उनके विरूद्ध उक्त अपराध के संबंध में नतीजा आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

3. अभियुक्तगण को धारा 341, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया तो आरोप को सुन–समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर विचारण प्रारंभ किया गया।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी0 ड 0–1 रविन्द्र सिंह, पी0 ड 0–2 ओमप्रकाश शर्मा, पी0 ड 0–3 हरिमोहन, पी0 ड 0–4 विमलेश, पी0 ड 0–5 रामबाबू, पी0 ड 0–6 उषा, पी0 ड 0–7 शम्भुदयाल, पी0 ड 0–8 लोकेश, पी0 ड 0–9 प्रभुदयाल, पी0 ड 0–10 मुरारीलाल, पी0 ड 0–11 डॉ. सतीश कुमार खण्डेलवाल को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में परिवाद–पत्र प्रदर्श पी–1, नक्शा मौका प्रदर्श पी–2, एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी–3, पुलिस बयान रामबाबू प्रदर्श पी–4, पुलिस बयान

प्रदर्श पी–5 प्रभुदयाल प्रदर्श पी–5, चाक एफ.आई.आर प्रदर्श पी–6, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 व एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–8 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया गया।

5. तत्पश्चात अभियुक्तगण को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना बताया और साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इन्कार किया।

6. बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला सन्देह से परे प्रमाणित किया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे।

8. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं उन्हें हस्तगत प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। गवाहान के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। प्रकरण में गवाह पी0 ड 0–5 रामबाबू, पी0 ड 0–9 प्रभुदयाल पक्षद्रोही रहे हैं तथा गवाह उषा, शम्भूदयाल, विमलेश द्वारा घटना के पश्चात मौके पर पहुंचने का कथन किया है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

9. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

(1) क्या प्रकरण के अभियुक्तगण ने दिनाँक 07.10.2015 को सुबह करीब 10.00 बजे या उसके लगभग वाके मौजा ग्राम बैरावास में स्थिति चारागाह भूमि के पास परिवादी ओमप्रकाश बडे भाई हरिमोहन का सदोष–अवरोध कारित किया तथा आहत हरिमोहन के साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर साधारण व गम्भीर उपहतियां कारित की।

(2) यदि हाँ तो दण्ड की मात्रा क्या होगी?

10. गवाह पी0ड0–1 रविन्द्र सिंह ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं दिनांक 14.01.2016 को थानाधिकारी महिला पुलिस थाना दौसा पद पदस्थापित था। उस दिन मुझे मुकदमा नंबर 18/16 पुलिस थाना सदर, दौसा की पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त हुयी थी। मैं उक्त प्रकरण में अनुसंधान करने दिनांक 15.01. 2016 को घटनास्थल गांव बैरावास गया था, जहां पर मुस्तगीस पक्ष मुझे नहीं मिला। उसके बाद मेरा महिला पुलिस थाना से पुलिस थाना मानपुर स्थानांतरण होने पर मैनें पत्रावली महिला थाना एच एम को सुपुर्द कर दी थी।जिरह में कथन किया है कि मैंने उक्त पत्रावली में कोई अनुसंधान नहीं किया।

11. गवाह पी0ड0–2 ओमप्रकाश शर्मा ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 07.10.2015 को सुबह के लगभग 10 बजे की बात है। हमारे घर के सामने बाबूलाल, मक्खनलाल, शांति उर्फ संतोष, सविता देवी खसरा नम्बर 715 स्थित चारागाह भूमि से हरे बबूल के पेड काटकर रास्ते मे डालकर उसे बंद कर रहे थे। मेरे भाई हरिमोहन ने उनसे मना किया तो वे सभी लोग उसके साथ डण्डो से मारपीट करने लग गए। इन लोगो के पास कुल्हाडी भी थी लेकिन मारपीट केवल डण्डो से की थी। मक्खन व बाबूलाल ने मेरे भाई के दांए हाथ पर कंधे व कोहनी के बीच डण्डो से मारी थी, जिससे उनका हाथ फैक्चर हो गया था। उनके दांए कान का पर्दा भी फट गया था। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर उनकी बहु विमलेश मौके पर गई थी। वह चिल्लाई तब मै, शिम्भुदयाल, बाबूलाल पुत्र महादेव, उषादेवी आदि लोग मौके पर गए थे और हमने बीच बचाव कराया था हमे देखकर मक्खन ने देशी कटटा निकालकर हवा मे फायर किया था। उसने हम सभी को जान से मारने की भी धमकी दी थी। उसके बाद उक्त सभी लोग मौके से चले गए थे। मैं इस घटना की रिपोर्ट कराने उसी दिन पुलिस थाना सदर गया था लेकिन उन्होने मेरी रिपोर्ट भी नहीं ली। अगले दिन मै एसपी साहब के पास गया तो एसपी साहब के आदेश पर उन्होने मेरी रिपोर्ट तो ले ली लेकिन उसे जांच में डालकर मुकदमा दर्ज नही किया। उसके बाद मैं कई बार थाने पर गया लेकिन तब भी उन्होने कोई कार्यवाही नही की। उसके बाद मैने एसपी साहब को परिवाद दिया था, जिस पर उन्होने जांच महिला थाना को दी और उसके बाद मेरा मुकदमा दर्ज हुआ था। मेरे द्वारा एसपी साहब के समक्ष प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी मेरे साइन है। पुलिस ने मेरे सामने घटनास्थल का

कोई नक्शा मौका नहीं बनाया था, केवल मेरे खाली कागज पर साइन कराए थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 पर ए से बी मेरे साइन है। जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि हरिमोहन की पुत्रवधु विमलेश के चिल्लाने के बाद हम गये थे। मैं घटना के समय मंदिर में पूजा कर रहा था। दिनाँक 07 की रिपोर्ट मैंने पुलिस को दी थी लेकिन पत्रावली में शामिल नहीं हैं

12. गवाह पी0ड0–3 हरिमोहन ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 07.10.2015 की बात है। गांव की चारागाह भूमि के रास्ते में मक्खन, बाबूलाल, शांति देवी, सविता पेड काटकर चारागाह भूमि मे जाने वाले रास्ते को जो मंदिर के पास से जाता है उसको रोक रहे थे। दिन का 10 बजे के लगभग का समय था। मैने जाकर उनको मना किया तो उन्होंने कहा कि कब्जा हमारा है। वो चारागाह मे से ही पेड काट रहे थे। मेरे मना करने पर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। उनके हाथ में फुलवारी, डंडे भी थे। मेरे साथ बाबूलाल, मक्खन, संतोष और सविता ने मारपीट की थी। जिससे मेरा चश्मा टूट गया और आंख में चोट आई थी, कान का पर्दा फट गया, दाहिना हाथ टूट गया तथा दायें पैर में भी उन्होंने चोट मारी थी। तथा दायें हाथ के अंगूठे व छोटी अंगुली में गंभीर चोट आई थी। मैं नीचे गिर गया। फिर मेरे पडे पडे के भी मारी थी। मेरे सिर व कान की चोट बाबूलाल ने मारी थी। जिसे मेरे कान का पर्दा फट गया और हाथ मे डंडे की मक्खन ने मारी थी। फिर सभी ने पडे पडे के पीठ में और पैरों में मारी थी। जिससे मेरा आज भी हाथ काम नही करता। कान से सुनाई नही देता। आंख से बिल्कुल नही दिखता। मेरे, बच्चे की पत्नी विमलेश मुझे बचाने आई थी तथा विमलेश के चिल्लाने पर मेरे भाई व शंभुदयाल व बाबूलाल व ओमप्रकाश व बाबूलाल की पत्नी उषा आई थी। उन्होंने मुझे उठाया। मै बेहोश हो गया था। वे मुझे इलाज के लिए लेकर आए थे। इन लोगों ने हमे और हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। फिर दौसा अस्पताल मे मेरा इलाज हुआ था। मेरे भाई ओमप्रकाश ने घटना की रिपोर्ट एसपी साहब के यहां दर्ज कराई थी। क्योंकि थाने वालों ने हमारी रिपोर्ट दर्ज ही नही की थी। मेरे शरीर पर आई चोटों का डॉक्टरी मुआयना हुआ था। मेरी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेरा जयपुर मे भी इलाज हुआ था।जिरह में कथन किया है कि विमलेश मेरी पुत्रवधु है। मेरे सबसे पहले बाबूलाल ने दी थी। बाबूलाल के मारने के

बाद मैं बेहोश हो गया था। बाबूलाल ने डण्डे से पहले आंख पर दी थी बाद में कान पर दी थी। मैं और मुलजिमान एक ही जगह के रहने वाले हैं। हमारे और भी मुकदमें चल रहे हैं।

13. गवाह पी0 ड 0–4 विमलेश ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि गांव मे हमारे मकान के पास चारागाह भूमि है। जिसमे से हमारे घर को आने का रास्ता है। उस रास्ते मे आरोपीगण मक्खन, बाबूलाल, शांति उर्फ संतोष, सविता चारागाह भूमि मे पेडों को काटकर रास्ते को बंद कर रहे थे। दिन के 10 बजे की बात है। मेरे ससुर हरिमोहन शर्मा ने उनसे रास्ता बंद करने से मना किया तो उनके साथ में उन्होंने डंडों से मारपीट की। मेरे चिल्लाने पर मेरे परिवार के लोग वहां पर आ गए। और मेरे ससुर का बीच बचाव कराया। मेरे ससुर के आंख, कान, हाथ और पैरों में चोट आई थी। मै उस समय वहीं स्थित मंदिर मे जा रही थी। वहां से हमारा घर आधा किलोमीटर दूर है फिर कहा थोडी ही दूर है। फिर कहा यहां से अदालत परिसर से बाहर तक की दूरी पर है। उनको हमारे घरवाले बाबूलाल वगैरा अस्पताल लेकर गए जहां उनका इलाज करवाया। जिरह में कथन किया है कि हरिमोहन के साथ झगडा कर रहे थे तब मैं मंदिर जा रही थी।

14. गवाह पी0 ड 0–5 रामबाबू ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मुझे दिनाँक 07.10.2015 की घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने मक्खन, बाबूलाल, सविता व संतोष उर्फ शांति देवी के द्वारा हरिमोहन व विमलेश देवी के साथ मारपीट करता हुए नहीं देखा। मुझे घटना के बारे में अन्य कोई जानकारी भी नहीं है। इस गवाह को अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस गवाह से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कथन किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी–4 का ए वसे बी भाग मैंने नहीं लिखाया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण को इस गवाह से जिरह किये जाने हेतु अवसर दिये जाने के पश्चात कोई जिरह नहीं की गयी।

15. गवाह पी0 ड 0–6 उषा ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि करीब 10 साल पहले की बात है। तारीख आज मुझे याद नहीं है। उस दिन सुबह लगभग 10 बजे की बात है। उस समय हमारे पडोसी मक्खन, बाबूलाल पेड काटकर चारागाह भूमि में से आने जाने का रास्ता बंद कर कर रहे थे। तब मेरे जेठ हरिमोहन ने उन लोगों को ऐसा करने से मना किया तो मक्खन, बाबूलाल मेरे जेठ

के साथ मारपीट व लडाई झगडा करने लगे। इतने में वहां मोतीलाल की पत्नी शांति उर्फ संतोष और मक्खन की पत्नी सविता पहुंच गई और ये सब हरिमोहन के साथ मारपीट व लडाई झगडा करने लगे। और मक्खन और संतोष ने हरिमोहन के डंडे की हाथ पर मारी जिससे हरिमोहन के हाथ में फैक्चर हो गया। बाबूलाल और शांति देवी ने मेरे जेठ हरिमोहन के कान व शरीर पर लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। तब मैं, हरिमोहन की पुत्रवधू विमलेश, शंभुदयाल हम सब बीच–बचाव करने भागे तब ये लोग वहां से चले गए। उस मारपीट में हरिमोहन के कान में गंभीर चोट आई थी और उनके कान का पर्दा फट गया था। बाबूलाल वगैरा ने हमारी चारागाह भूमि पर हमारा आना जाना रोकने के लिए ये लडाई झगडा व मारपीट की थी। तब घटना की रिपोर्ट मेरे देवर ओमप्रकाश ने थाने पर दर्ज करवा दी थी। जिरह में कथन किया है कि झगडा होने के 10 मिनट बाद पहुंची थी। मैं पहुंची तब उससे पहले कई लोगों की भीड इकट्ठी हो गयी थी।

16. गवाह पी0 ड 0–7 शम्भूदयाल ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि करीब 10 साल पहले सुबह लगभग 10 बजे की बात है। हरिमोहन मेरा भाई है। उस दिन हमारे पडोसी परिवार के मक्खन, बाबूलाल, शांति उर्फ संतोष, सविता पेड काटकर चारागाह भूमि में से आने जाने का रास्ता बंद कर रहे थे। तब मेरे भाई हरिमोहन ने उन लोगों को ऐसा करने से रोका और मना कया तो मेरे भाई हरिमोहन के कान पर बाबूलाल ने डंडे की मारी जिससे उसके कान का पर्दा फट गया। और मक्खन और संतोष ने हरिमोहन के डंडे की हाथ पर मारी जिससे हरिमोहन के हाथ में फैक्चर हो गया। तब जब मैंने, विमलेश, उषा, ओमप्रकाश हम लोग बीच–बचाव करने भागे तो इन लोगों ने हमारे साथ भी लडाई झगडा किया। ये लोग चारागाह भूमि पर हमें आने जाने से रोकना चाहते है। इस बात को लेकर इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट व लडाई झगडा किया था। तब घटना की रिपोर्ट मेरे भाई ओमप्रकाश ने थाने पर दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने मेरे सामने मौके पर घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 2 है जिस पर एक्स स्थान पर मेरी अंगूठा निशानी है। जिरह में कथन किया है कि मैं और मेरी भाभी उषा, विमलेश के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे थे। मैं और मेरी भाभी उषा के साथ–साथ पहुंचे थे।

17. गवाह पी0 ड 0–8 लोकेश ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया

है कि करीब 10–11 साल पहले की बात है। उस दिन मैं अपनी बुआ ममता देवी के घर छोटी बैरावास गया हुआ था। हरिमोहन जी मेरी बुआ के पडोसी है। उस दिन सुबह लगभग 10 बजे के आसपास की बात है। हरिमोहन जी के साथ मक्खनलाल, बाबूलाल, शांति उर्फ संतोष व सविता ने चारागाह भूमि पर रास्ता बंद करने की बात को लेकर थाप मुक्के व डंडों से मारपीट की। उक्त झगडा चारागाह भूमि व रास्ता बंद करने की बात को लेकर हुआ था। इसी बात को लेकर शांति वगैरा ने हरिमोहन के साथ मारपीट की जिसमें हरिमोहन के कान पर चोट आई थी और उनके कान का पर्दा भी फर्द गया था और हाथ में फैक्चर हो गया था। विमलेश देवी के साथ भी इन लोगों ने धक्का मुक्की व लडाई झगडा किया। तब मैंने व आस पास के लोगों ने इनका बीचबचाव करवा दिया था। जिरह में कथन किया है कि जब हम मौके पर झगडा छुडाने पहुंचे थे वहां 5–6 लोग छुडाने वाले मौजूद थे। जो लोग मुझसे पहले मौके पर पहुंचे उस समय विमलेश देवी को छुडा दिया गया था।

18. गवाह पी0 ड 0–9 प्रभुदयाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इस गवाह को अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस गवाह से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कथन किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी–5 का ए से बी भाग सही है। मैं बाबूलाल, शांति देवी वगैरह को जानता हूँ। ये लोग मेरे गाँव के ही है। मैं हरिमोहन को भी जानता हूँ। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कथन किया है कि हरिमोहन की औरो ने चारागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है और बाबूलाल मना करता है। इसी बात कारण दोनों में विवाद रहता है।

19. गवाह पी0 ड 0–10 मुरारी लाल ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं दिनांक 08.10.2015 को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर दोसा पर कार्यरत था उस दिन परिवादी ओमप्रकाश पुत्र महादेव प्रसाद शर्मा निवासी बहरावास पुलिस थाना सदर दौसा का परिवाद श्रीमान वृत्ताधिकारी महोदय दौसा से एन्डोर्समेंटशुदा जरिये डाक थाने पर प्राप्त हुआ था । श्रीमान वृत्ताधिकारी ने शीघ्र जाँच कर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए । उक्त निर्देश की पालना में जाँच हेतु हैड कानि० गुलाब सिंह जो जाँच हेतु परिवाद दिया। दौराने जाँच ही उक्त

परिवाद पर दिनांक 14.01.2016 को कार्यवाही पुलिस अंकित कर मुकदमा नं० 18/16 धारा 341, 323, 509, 143 भा०दं०सं० में दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान हेतु उच्चाधिकारियों के आदेश से महिला थाना दोसा के अधिकारी को सुपुर्द की। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी० 01 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है तथा कार्यवाही पुलिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। चाक FIR प्रदर्श पदर्श पी० 06 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। थानाधिकारी महिला थाना दौसा ने बाद तफ्तीश के मुलजिमान के खिलाफ अंतर्गत जुर्म धारा 341, 323, 325, 34 भा०दं०सं० का अपराध प्रमाणित मानकर आरोप पत्र पेश करने हेतु पत्रावली मुझे सुपुर्द की जिसके आधार पर मैने आरोप पत्र विरूद्ध उपरोक्त मुलजिमान व उपरोक्त धाराओं में माननीय न्यायालय मे पेश किया गया। चार्जशीट पर ए से बी सभी जगह मेरे हस्ताक्षर है। जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि मैंने पत्रावली में कोई अनुसंधान नहीं किया। मुकदमा अनुसंधान हेतु महिला थाना में भेजा गया था। महिला थाना से बाद अनुसंधान चालान पेश होने हेतु मुझे प्राप्त हुयी थीं

20. गवाह पी0ड0–11 डॉ. सतीश कुमार खण्डेलवाल ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनाँक 08.10.2015 को जिला चिकित्सालय, दौसा में मेडिकल ज्यूरिष्ट के पद पर रहते हुए उस दिन थाना सदर की तहरीर पर हरिमोहन के शरीर पर आयी चोटों का मुआयना किया चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 है। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–8 है। जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि जिस तरह की चोट मजरूब को लगी थी वो सख्त धरातल पर गिरने से आ सकती है।

21. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य की समग्र रूप से विवेचना करने से यह प्रकट होता है कि परिवादी ओमप्रकाश ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 जिला पुलिस अधीक्षक, दौसा के समक्ष इस आशय की पेश की कि दिनाँक 7–10–2015 को समय करीब 10.00 ए एम की बात है कि झगडालू लोग बाबूलाल, मक्खन, हरप्यारी, शान्ति, सविता आदि लोग एक राय होकर हाथों में कुल्हाडी डण्डे लेकर आये और आबादी के पास खसरा नम्बर 715 चरागाह भूमि में से हरे पेड़ काट काट कर आबादी से जाने वाले रास्ते को ढांकरे लगा कर बन्द कर रहे थे कि मेरे बडे भाई हरिमोहन ने जाकर कहा कि भाई रास्ता बन्द मत करो तो बाबूलाल ने मेरे भाई के डण्डे की चोट मार दी व मक्खन,

हरप्यारी, सबिता, शान्ति ने डण्डो से मारपीट की जिससे मेरे भाई का कान का पर्दा फट गया जो हॉस्पिटल में भर्ती है चिल्लाने की आवाज सुन विमलेश आई और वह चिल्लाई तब अन्य लोगों ने आकर बचाव किया तो मक्खन ने जेब से देशी कट्टा निकाला और गोली चलाने की धमकी देने लगा तथा कहा कि मेरे पास कट्टे के साथ रिवाल्वर और है तथा मेरे साला के पास बदमाशों का गिरोह है जो तुम्हें कभी भी जान से खत्म करवा दूंगा इसके बाद कट्टे से फायरिंग कर दी.....इत्यादि।

22. हस्तगत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि गवाह ओमप्रकाश को पी0 ड 0–2 के रूप में परीक्षित कराया गया है। जिसने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह सही है कि हरिमोहन की पुत्र वधु विमलेश के चिल्लाने के बाद हम गये थे। मैं घटना के समय मंदिर में पूजा कर रहा था। यह सही है कि रिपोर्ट पुलिस को दी थी लेकिन पत्रावली में शामिल नहीं है। इस प्रकार गवाह पी0 ड 0–2 ओमप्रकाश घटना का चश्मदीद गवाह रहा है तथा मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर उनकी बहू विमलेश मौके पर गयी तब मैं शम्भूदयाल बाबूलाल, उषा देवी मौके पर गये थे। हमने बीच–बचाव कराया था। इस प्रकार उक्त गवाह घटना के वक्त उपस्थित रहा है। उक्त गवाह की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रही है। इसी कडी में मजरूब गवाह पी0 ड 0–2 हरिमोहन को पी0 ड 0–3 के रूप में परीक्षित कराया गया। उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि विमलेश मेरी पुत्रवधु है। मेरे सबसे पहले बाबूलाल ने दी थी। बाबूलाल के मारने के बाद मैं बेहोश हो गया था। बाबूलाल ने डण्डे से पहले आंख पर दी थी बाद में कान पर दी थी। मैं और मुलजिमान एक ही जगह के रहने वाले हैं। हमारे और भी मुकदमें चल रहे हैं। इस प्रकार मजरूब हरिमोहन द्वारा घटना की पुष्टि में बाबूलाल, मक्खन, शांति, सविता और उसके साथ मारपीट किये जाने का कथन किया गया है। प्रतिपरीक्षण में इस बात को दोहराया है कि बाबूलाल के मारने के बाद मैं बेहोश नहीं हुआ था। इस प्रकार मजरूब हरिमोहन ने भी घटना की सम्पुष्टि में कथन किये हैं तथा उक्त गवाह की साक्ष्य भी प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रही है। इसी कडी में अन्य गवाह पी0 ड 0–4 विमलेश ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरे ससुर के साथ मक्खन, बाबूलाल, शांति, सविता ने डण्डे से मारपीट की। मेरे ससुर के आंख, कान हाथ, पैर में चोटें आयी थी उक्त गवाह विमलेश ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि

हरिमोहन के साथ झगडा कर रहे थे तब मैं मंदिर जा रही थी। गवाह पी0 ड 0–6 उषा ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि झगडा होने के 10 मिनट बाद पहुंची थी। मैं पहुंची तब उससे पहले कई लोगों की भीड इकट्ठी हो गयी थी। गवाह पी0 ड 0–7 शम्भूदयाल ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मैं और मेरी भाभी उषा, विमलेश के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे थे। मैं और मेरी भाभी उषा के साथ–साथ पहुंचे थे। गवाह पी0 ड 0–8 लोकेश ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि जब हम मौके पर झगडा छुडाने पहुंचे थे वहां 5–6 लोग छुडाने वाले मौजूद थे। जो लोग मुझसे पहले मौके पर पहुंचे उस समय विमलेश देवी को छुडा दिया गया था।

23. हस्तगत प्रकरण में गवाह पी0 ड 0–5 रामबाबू, पी0 ड 0–9 प्रभुदयाल पक्षद्रोही रहे हैं। इसी कडी में डॉक्टर सतीश खण्डेलवाल पी0 ड 0–11 की साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिसने मजरूब हरिमोहन की चोटों का मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 बनाये जाने का कथन किया है तथा मजरूब की अल्ना हड्डी में अस्थि भंग होना बताया है। इस सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–3 का अवलोकन किया गया। जिसमें गम्भीर उपहति कारित किया जाना प्रकट होता है। हस्तगत प्रकरण में मजरूब हरिमोहन, परिवादी ओमप्रकाश ने अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ मारपीट किये जाने का कथन किया है।

24. अतः अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनाँक 07.10.2015 को सुबह करीब 10.00 बजे या उसके लगभग वाके मौजा ग्राम बैरावास में स्थिति चारागाह भूमि के पास परिवादी ओमप्रकाश बडे भाई हरिमोहन का सदोष–अवरोध कारित किया तथा आहत हरिमोहन के साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर साधारण व गम्भीर उपहतियां कारित की। । अतः अभियुक्तगण श्रीमती शांति उर्फ सन्ती उर्फ संतोष, मक्खन, बाबूलाल व सविता को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

25. परिणामस्वरूप अभियुक्तगण 01–श्रीमती शांति उर्फ सन्ती उर्फ

संतोष पत्नी मोती लाल उम्र–54 साल 02–बाबूलाल पुत्र सुवालाल उम्र–65 साल 03–मक्खन पुत्र रामकिशोरउम्र–39 साल 04–सविता पत्नी मक्खन उम्र–38 साल, निवासीगण–छोटी बैरावास थाना सदर, दौसा (राज.)को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(उमेश वीर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा,
जिला–दौसा(राज.)

<u>सजा के बिन्दु पर सुना गया</u> :–

26. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का कथन रहा है कि अभियुक्तगण वर्ष 2016 से प्रकरण की अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अभियुक्तगण अपने परिवार में कमाने वाले एक मात्र कमाने वाले सदस्य है। अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रुख अपनाये जाने का निवेदन किया ।

27. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को उचित दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया।

28. उभय पक्ष द्वारा सजा के प्रश्न पर दिये गये तर्कों के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया । अभियुक्तगण परिवादी/मजरूब को उसकी इच्छित दिशा में जाने से निवारित कर उसके साथ स्वेच्छया साधारण एवं गम्भीर उपहति कारित किया जाना प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। लेकिन अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण की भुगती हुयी अन्वीक्षा, नवयुवक, प्रथम अपराध आदि को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ प्रदत्त किया जाना व उचित अभियोजन व्यय वसूली किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>–दंडादेश –</u>

29. अभियुक्तगण अभियुक्तगण 01–श्रीमती शांति उर्फ सन्ती उर्फ संतोष पत्नी मोती लाल उम्र–54 साल 02–बाबूलाल पुत्र सुवालाल उम्र–65 साल 03–मक्खन पुत्र रामकिशोर उम्र–39 साल 04–सविता पत्नी मक्खन उम्र–38 साल,

निवासीगण–छोटी बैरावास थाना सदर, दौसा (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में दोषी पाये जाने पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 04 के तहत आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त एक वर्ष की अवधि के दौरान परिशांति व सद्व्यवहार बनाये रखने, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने तथा शर्त भंग की स्थिति में न्यायालय की तलबी पर तत्समय दी जाने वाली सजा भुगतने हेतु उपस्थित हो जाने बाबत् दस हजार रूपये का स्वयं का मुचलका व समान राशि का एक प्रतिभूपत्र न्यायालय के संतोषप्रद पेश कर तस्दीक करा दे तो अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जाये। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 के तहत 500/–रूपये(कुल अक्षरे दो हजार रूपये) अभियोजन व्यय के रूप में अधिरोपित किये जाते हैं। उक्त अभियोजन व्यय की राशि बतौर प्रतिकर मजरूब हरिमोहन को बाद गुजरने मियाद अपील अवधि नियमानुसार अदा किये जाने हेतु तहरीर जारी हो।

30. अभियुक्तगण के नियमित पेशी हेतु जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण को निर्देश है कि वह धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया (481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के तहत 10–10 हजार रूपये के जमानत मुचलके 6 माह की अवधि के इस आशय के प्रस्तुत करे कि यदि माननीय अपीलीय न्यायालय से अपील के कोई नोटिस प्राप्त होते हैं तो वह उक्त न्यायालय में उपस्थित हो जावेगा।

उमेश वीर (RJS)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दौसा, जिला–दौसा(राज.)

31. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उमेश वीर (RJS)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दौसा, जिला–दौसा(राज.)